न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 16 / 2021

1. देवीराम
2. लालसिंह पिसरान रामसिंह उर्फ सुल्लड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रॉफ तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :–21 / 09 / 2021

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा 564 / 0.11, 566 / 0.05, 567 / 0.24, 1013 / 0.36, 1038 / 0.20, 1183 / 0.29, 1267 / 0.19, 1276 / 0.24, के हाल खसरा नम्बर 694 / 0.11, 696 / 0.05, 697 / 0.18, 698 / 0.10, 1259 / 0.36, 1290 / 0.20, 1461 / 0.29, 1558 / 0.19, 1567 / 0.24 हैक्टर बांके ग्राम रॉफ तहसील पहाडी में स्थित है आराजी पूर्व में वादीगण के पिता की आराजी थी जिस पर रामसिंह ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक काश्त की और रामसिंह के मरने के बाद अब वादीगण मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त है एवं मौके पर वादीगण की बोई हुई फसल खडी हुई है इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण वहैसियत खातेदार काबिज काश्त है । राजस्थान काश्तकार अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही आराजी पर पिता वादीगण काश्त करते थे जिस पर पिता वादीगण ने वहैसियत खातेदार के रूप में काश्त की और पिता वादीगण के फौत हो जाने के बाद अब वादीगण मुताबिक हिस्सा आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

दर्ज होता चला आ रहा है। जबकि कानूनन वादीगण को खातेदार अधिकारी हासिल हो चुके है विधि वजह वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। आराजी मुतदाविया की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है जिसके प्रतिनिधि तहसीलदार पहाडी है जिनके विरूद्ध दावा पेश किया जा रहा है दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 80(2) जा0दी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला अजेन्ट नेचर का होने की वजह से दफा 80(2) जा0 दी0 के तहत न्यायालय से पूर्व अनुमति ले ली गई है। अतः निवेदन है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 06/08/2021 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि आराजी राजस्थान काश्तकार अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही वादीगण के पिता रामसिंह उर्फ सुल्लड पुत्र रामफल की काबिज काश्त आराजी थी जिस पर रामसिंह ने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक काश्त की और उसके मरने के बाद वादीगण मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त है आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जो कि राजस्व रिकॉर्ड से साबित होती है मुताबिक कानून वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना न्याय संगत है आराजी पर चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्याय संगत है। आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है एवं वादीगण की पैश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण का हाल में कब्जा व काश्त है। अतः वादीगण को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के खातेदारी प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी मुतदाविया वादीगण की पुश्तैनी(बुजुर्गान) आराजी है ।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u>आया आराजी पर वादीगण काबिज काश्तकार है ।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 3 :–</u>आया आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। ।

........वादीगण

<u>4:–दादरसी :–</u>

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 देवीराम , पी0डब्लू02 लालसिंह, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2004 , 2011 लगायत 2014, 2023 लगायत 2026, 2035 लगायत 2038, 2037 लगायत 2030, 2031 लगायत 2034, 2039 लगायत 2042, 2048 लगायत 2051, 2052 लगायत 2055, 2056 लगायत 2059, 2075 लगायत 2078, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015, नकल मिलान क्षेत्रफल पेश की।

बहस वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> आया आराजी मुतदाविया वादीगण की पुश्तैनी(बुजुर्गान) आराजी है ।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी एवं जबाव तहसीलदार के अनुसार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी होना बखूबी प्रमाणित है। आराजी पर पूर्व में वादीगण के पिता रामसिंह उर्फ सुल्लड काबिज काश्त रहे है। उनके मरने के बाद वादीगण मुताबिक हिस्सा आराजी पर काबिज काश्त है। तहसीलदार के जबाब के मुताबिक आराजी वादीगण के पिता रामसिंह की कब्जे काश्त की आराजी थी जिस पर वह अपने जीवन काल तक काश्त करता रहा उसके फौत होने के बाद वादीगण मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही आराजी पर पिता वादीगण काश्त करते थे जिस पर पिता वादीगण ने वहैसियत खातेदार के रूप में काश्त की और पिता वादीगण के फौत हो जाने के बाद अब वादीगण मुताबिक हिस्सा आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इस प्रकार उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया आराजी पर वादीगण काबिज काश्तकार है ।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। तहसीलदार पहाडी के जबाब के अनुसार आराजी पर वादीगण हाल में मुताबिक हिस्सा काबिज व काश्त है। इस प्रकार उक्त वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। ।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी एवं जबाव तहसीलदार के अनुसार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी होना बखूबी प्रमाणित है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही आराजी पर पिता वादीगण काश्त करते थे जिस पर पिता वादीगण ने वहैसियत खातेदार के रूप में काश्त की और पिता वादीगण के फौत हो जाने के बाद अब वादीगण मुताबिक हिस्सा आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है। तहसीलदार पहाडी के जबाब के अनुसार आराजी पर वादीगण हाल में मुताबिक हिस्सा काबिज व काश्त है। भूमि धारा 16 के अधीन नहीं आती है। तहसीलदार पहाड़ी ने वादीगण को रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया जाना न्यायसंगत बताया है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी भी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

4. दादरसी :– तनकी संख्या 1 ,2,3 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 564/0.11, 566/0.05, 567/0.24, 1013/0.36, 1038/0.20, 1183/0.29, 1267/0.19, 1276/0.24, के हाल खसरा नम्बर 694/0.11, 696/0.05, 697/0.18, 698/0.10, 1259/0.36, 1290/0.20, 1461/0.29, 1558/0.19, 1567/0.24 हैक्टर बांके ग्राम रॉफ तहसील पहाडी पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में हो रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/09/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (उप जिला भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (उप जिला भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इत्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 16/2021
1. देवीराम
2. लालसिंह पिसरान रामसिंह उर्फ सुल्लड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रॉफ तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 564/0.11, 566/0.05, 567/0.24, 1013/0.36, 1038/0.20, 1183/0.29, 1267/0.19, 1276/0.24, के हाल खसरा नम्बर 694/0.11, 696/0.05, 697/0.18, 698/0.10, 1259/0.36, 1290/0.20, 1461/0.29, 1558/0.19, 1567/0.24 हैक्टर बांके ग्राम रॉफ तहसील पहाडी पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में हो रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/09/. सन् 2021 को जारी की गई ।

मुहर ....

दस्तखत ....
ओहदा ....
उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner